



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218735
CG-DL-E-18032020-218735

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 948]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ. 1054(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 14 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“14	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. - 48 [गुजरात सीमा से मुंबरा (पनवेल) और पुणे से कर्नाटक सीमा खंड को छोड़कर], सं. 50, सं. 52 [महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा - हतूर और शोलापुर - धुले-सोंगीर-नर्दना- शिवपुर- संगवी- महाराष्ट्र /मध्य प्रदेश सीमा खंड को छोड़कर], सं. 53 [गुजरात सीमा - वैरायटी स्क्वायर (नागपुर सिटी) और वाडी नाका (नागपुर सिटी) से महा./छत्तीसगढ़ सीमा को छोड़कर], सं. 60 [धुले-नासिक और सिन्नर - खेड़ खंड को छोड़कर], सं. 61 [कल्याण - अहमदनगर बाइपास के आरंभ तक किमी 9/300 से किमी 211/00 और खारवंडी कसार से रारा-211 (नया रारा-52) का जंक्शन के साथ किमी 284/00 से किमी 337/000 तक खंड को छोड़कर], सं. 63, सं. 65 [किमी 0/00 से किमी 8/800 और किमी 40/0 - किमी 340/200 तक खंड को छोड़कर], सं. 66 [पनवेल - इंदापुर खंड और किमी 0/00 से किमी 84/00 तक को छोड़कर], सं. 160 [सिन्नर से अहमदनगर और वासुंदे फाटा से चिखोडी - रारा - 48 के साथ जंक्शन को छोड़कर], सं. 247, सं. 266, सं. 465, सं. 543, सं. 561, सं. 647, सं. 652, सं. 753, सं. 761, सं. 848 [थाणे - नासिक खंड को छोड़कर], सं. 930 [वारोरा - वानी खंड को छोड़कर], सं. 953, सं. 361एफ, सं. 130डी, सं. 150वि. [शोलापुर - अक्कलकोट खंड को छोड़कर], सं. 160ए [सिन्नर-घोटी खंड को छोड़कर]; सं. 160सी, सं. 160एच, सं. 161ए, सं. 161ई, सं. 161जी, सं. 161एच, सं. 166डी, सं. 166ई, सं. 166एफ, सं. 166जी, 166एच, सं. 347ए [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत जाम से वारोरा खंड को छोड़कर], सं. 353बी [तेलंगाना/महाराष्ट्र सीमा राजुरा खंड किमी 32/500 से किमी 89/329 तक को छोड़कर], सं. 353सी, सं. 353डी [नागपुर - उमरेद खंड को छोड़कर], सं. 353ई, सं. 353आई, सं. 353जे [नागपुर - कटोल खंड को छोड़कर], सं. 353के, सं. 361बी, सं. 361सी, सं. 361एफ, सं. 361एच, सं. 461बी, सं. 547ई [गोंडखैरी - सावनेर खंड को छोड़कर], सं. 548ए, सं. 548बी, सं. 548सी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत तेंभुरनी - कुरुदवाडी - बारशी खंड को छोड़कर], सं. 548सीसी, सं. 548डी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत तालेगांव दभाडे, चाकन, शिकरापुर, न्हावरा खंड किमी 0/00 से किमी 83/551 तक को छोड़कर], सं. 548डीडी [कटराज-लोनीखंड को छोड़कर] सं. 548ई, सं. 561ए [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत अहमदनगर, करमाला, तेंभुरनी खंड तक को छोड़कर], सं. 752ई [औरंगाबाद-बिदकिन-पैठान खंड को छोड़कर], सं. 752जी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत पिंपलनेर - सताना, देवला, चांदवाड़, मनमाड, येवला, कोपरगांव से शिरडी के निकट रारा-160 के जंक्शन के साथ तक को छोड़कर], सं. 752एच, सं. 752आई [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत कोपरगांव - औरंगाबाद खंड किमी 0/00 से किमी 88/100 और औरंगाबाद, जायना, वातुर खंड को भी छोड़कर], सं. 752के, सं. 753ए, सं. 753बी, सं. 753ई, सं. 753एफ [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत औरंगाबाद, नेवासा, घोडेगांव, अहमदनगर, शिरूर, रंजनगांव, शिकरापुर, पुणे खंड को छोड़कर], सं. 753एच, सं. 753जे [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत नंदगांव, हिसवाल से मनमाड खंड को छोड़कर], सं. 753एल, सं. 753एम, सं. 848ए, सं. 930डी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत रारा-353बी के साथ अपने जंक्शन से महाराष्ट्र / तेलंगाना सीमा	महाराष्ट्र राज्य सरकार”

किमी 19/0 से किमी 50/808 और वीसापुर, बल्लारपुर से बामनी को जोड़ने वाला चंद्रपुर खंड को भी छोड़कर], सं. 965सी, सं. 965डीडी [लोनांद से वारंदा (पुणे / रायगढ़ जिला सीमा खंड) तक को छोड़कर], सं. 965जी [पटास – वेलापुर खंड किमी 0/00 से किमी 137/48 तक को छोड़कर] तक के उतने भाग जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है।	
--	--

[फा.सं. एनएच-14013/6/2019-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 696(अ), दिनांकित 14 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 1054(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“14	So much of National Highways No. NH-48 [excluding Gujarat border to Mumbra (Panvel) & Pune to Karnataka border section]; No. 50; No.52 [excluding Maharashtra / Karnataka border – Hattur and Solapur – Dhule-Songir – Nardana – Shivpur – Sangvi – MAH / MP border section]; No. 53 [excluding Gujarat border- Variety square (Nagpur city) & Wadi Naka (Nagpur city) to MAH/Chhattisgarh border]; No. 60 [excluding Dhule-Nashik & Sinnar - Khed section]; No. 61[excluding Kalyan – Start of Ahmednagar bypass section from km 9/300 to km 211/00 & excluding Kharwandi Kasar to junction with NH-211 (New NH-52) section from km 284/00 to km 337/00]; No. 63; No. 65 [excluding section from Km 0/00 to km 8/800 & km 40/0 – km 340/200]; No. 66[excluding Panvel - Indapur section from km 0/00 to km 84/00]; No. 160 [excluding Sinnar to Ahmednagar & Vasunde phata to Chikhodi - junction with NH-48]; No. 247; No. 266; No. 465, No. 543, No. 561, No. 647, No. 652, No. 753, No. 761, No. 848 [excluding Thane - Nashik section], No. 930 [excluding Warora – Wani section]; No. 953; No. 361F; No. 130D; No. 150 Ext [excluding Solapur – Akkalkot section]; No. 160A [excluding Sinnar – Ghoti section] ; No. 160C; No. 160H; No. 161A; No. 161E; No. 161G; No. 161H; No. 166D; No. 166E; No. 166F; No. 166G; No. 166H; No. 347A [excluding Jam to Warora section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 353B [excluding Telangana / Maharashtra border to Rajura section from km 32/500 to km 89/329]; No. 353C; No. 353D [excluding Nagpur-Umred section]; No. 353E; No. 353I; No. 353J [excluding Nagpur - Katol section]; No. 353K; No.	State Government of Maharashtra”.

361B; No. 361C; No. 361F; No. 361H; No. 461B; No. 547E [excluding Gondkhairi – Saoner section]; No. 548A; No. 548B; No. 548C [excluding Tembhurni -Kurudwadi – Barshi section under BOT project of State Govt. of Maharashtra] ; No. 548CC; No. 548D [excluding Talegaon Dabhade, Chakan, Shikrapur, Nhavra section from km 0/00 to km 83/551 under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 548DD [excluding Katraj-Lonikand]; No. 548E; No. 561A [excluding Ahmednagar, Karmala, Tembhurni section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 752E [excluding Aurangabad – Bidkin – Paithan section]; No. 752G [excluding Pimpalner – Satana, Deola, Chandvad, Manmad, Yeola, Kopargaon to junction with NH-160 near Shirdi section under BOT project of State Govt. of Maharashtra] ; No. 752H; No. 752I [excluding Kopargaon – Aurangabad section from km 0/00 to km 88/100 & also excluding Aurangabad, Jalna, Watur section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 752K; No. 753A; No. 753B; No. 753E; No. 753F [excluding Aurangabad, Newasa, Ghodegaon, Ahmदनnagar, Shirur, Ranjangaon, Shikrapur, Pune section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 753H; No. 753J [excluding Nandgaon, Hishaval to Manmad section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 753L; No. 753M; No. 848A; No. 930D [excluding junction with NH-353B to Maharashtra/Telangana border from km 19/0 to km 50/808 & also excluding Chandrapur connecting Visapur, Ballarpur to Bamni section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 965C; No. 965DD [excluding Lonand to Varanda (Pune/Raigad district border section)]; No. 965G [excluding Patas – Velapur section from km 0/00 to km 137/48] as are situated within the State of Maharashtra.	
--	--

[F. No. NH-14013/6/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 696 (E), dated the 14th February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ. 1055(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में – तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

सारणी

नया रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
53	वेनगंगा पुल से महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा खंड	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा खंड
60	नासिक –पीपलगांव बसवंत	-
61	कल्याण - मालशेजघाट	किमी 9/300 से किमी 101/000
160	सिन्नर से अहमदनगर खंड	-
160	रारा -48 खंड के साथ चिखोडी जंक्शन के पास वसुंदे फाटा से महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा	-
161	महाराष्ट्र राज्य में रारा-53 पर अकोला से शुरू होकर वाशिम, हिंगोली, नांदेड, देगलूर को जोड़ने वाला राजमार्ग	-

166	महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी से शुरू होकर टिक, पाली, कोल्हापुर, सांगोल, मंगलवेधा को जोड़ने वाला और सोलापुर के पास रारा-65 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
348	महाराष्ट्र राज्य में पलासपे के पास रारा-48 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर जेएनपीटी को जोड़ते हुए इसके जंक्शन पाम बीच सड़क पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
548	महाराष्ट्र राज्य में कलांबोली के पास रारा-48 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर 5.67 किमी के पास रारा-348 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
848	ठाणे - नासिक खंड	-
930	वरोरा - वानी खंड	-
965	महाराष्ट्र राज्य में मोहोल के पास रारा-65 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर पुणे के पास पंढरपुर, मालशिरास, फाल्टन, नीरा, जेजुरी, सासवाड को जोड़ने वाला और अलंदी के पास रारा 60 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
150 विस्तार	शोलापुर - अक्कलकोट खंड	-
160ए	सिन्नर - घोटी खंड	-
160बी	महाराष्ट्र राज्य में झगाडे फाटा के पास रारा-160 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होने वाला और कोपरगांव के पास रारा-752जी के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
160डी	महाराष्ट्र राज्य में नंदुर शिंदोट के पास रारा-60 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर दिघे, तालेगांव, लोनी को जोड़ने वाला और कोल्हूर के पास रारा-160 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
166ए	महाराष्ट्र राज्य में रारा-66 पर वडखल से शुरू होकर अलीबाग पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
348ए	महाराष्ट्र राज्य में जेएनपीटी के पास रारा-348 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर पाम बीच रोड पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
348बी	महाराष्ट्र राज्य में उलवे (पाडेघर) के पास रारा-348 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर हंभुलपाड, कौली बेलोदक, चिरनेर, साई को जोड़ने और रायगढ़ (बारापाडा) के पास इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
348बीबी	महाराष्ट्र राज्य में चिरनेर के पास नए रारा-348बी के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर कोपरोली को जोड़ने और खोपता क्रीक पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
353बी	तेलंगाना / महाराष्ट्र सीमा से राजुरा खंड	किमी 32.500 से किमी 89.329
353डी	नागपुर - उमरेड खंड	-
353जे	नागपुर - कटोल खंड	किमी. 0.000 से किमी. 62.000

547ई	गोंडखैरी – सावनेर खंड	-
548डीडी	कतरास - लोनीकंद	-
548एच	महाराष्ट्र राज्य में कर्नाटक / महाराष्ट्र सीमा से बांदा	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
752ई	औरंगाबाद - बिदकिन - पैठान खंड	-
752आई	कोपरगांव - वैजापुर - औरंगाबाद खंड	किमी. 0/00 से किमी 88/100 तक
753एबी	महाराष्ट्र राज्य में शेंद्रा एमआईडीसी आरओबी पर रारा -753 ए के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर भालगांव, घडिवात, बिदकिन, शेंदूरवाडा, बड़गांव को जोड़ने वाला और रारा-52 पर प्रस्तावित औरंगाबाद बाईपास के जंक्शन पर कसाब खेड़ा फाटा के पास समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
753बीबी	महाराष्ट्र राज्य में नदुरबार (देवमोगरा) रारा-753बी के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर घोटाने, डोंडीचा, वामने, चिल्लेने, कसबे, शिंदखेड़ा को जोड़ते हुए सोंगिर फाटा के पास रारा-52 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
930डी	रारा-353 बी के साथ जंक्शन - महाराष्ट्र / तेलंगाना सीमा	किमी 19/0 से किमी 50/808 तक
965डी	महाराष्ट्र राज्य में केडागांव के पास रारा-65 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर सुपे, मोरगांव, नीरा, लोणंद, वथर को जोड़ते हुए वाडे फाटा (सतारा) के पास रारा-48 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला पूरा रारा
965डीडी	लोनाद - वारंघा (पुणे / रायगढ़ जिला सीमा खंड)	-
965जी	पाटस - वेलापुर खंड	किमी 0.00 से किमी 137.480

[फा. सं. एनएच-14013/6/2019-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 1055(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

New NH No.	Section of National Highways	Chainage
53	Wainganga Bridge to Maharashtra/ Chhattisgarh border section	Entire section falling in the State of Maharashtra
60	Nashik –Pimpalgaon Baswant	-
61	Kalyan – Malshejghat	Km. 9/300 to km.

		101/000
160	Sinnar to Ahmednagar section	-
160	Vasunde phata to Maharashtra / Karnataka border near Chikhodi junction with NH-48 section	-
161	The highway starting from Akola on NH-53 connecting Washim, Hingoli, Nanded, Degloor in the State of Maharashtra	-
166	The highway starting from Ratnagiri connecting Tink, Pali, Kolhapur, Sangol, Mangalwedha and terminating at its junction with NH-65 near Solapur in the state of Maharashtra.	Entire NH falling in the State of Maharashtra
348	The highway starting from its junction with NH-48 near Palaspe connecting JNPT –terminating at its junction Palm Beach road in the state of Maharashtra .	Entire NH falling in the State of Maharashtra
548	The highway starting from its junction with NH- 48 near Kalamboli and terminating at its junction with NH-348 near km 5.67 in the State of Maharashtra.	Entire NH falling in the State of Maharashtra
848	Thane – Nasik Section	-
930	Warora – Wani Section	-
965	The highway starting from its junction with NH 65 near Mohol connecting Pandharpur, Malshiras, Phaltan, Nira, Jejuri, Saswad near Pune and terminating at its junction with NH 60 near Alandi in the State of Maharashtra.	Entire NH falling in the State of Maharashtra
150 Ext	Sholapur – Akkalkot section	-
160A	Sinnar – Ghoti section	-
160B	The highway starting from its junction with NH-160 near Zagade Phata and terminating at its junction with NH-752G near Kopargaon in the state Maharashtra .	Entire NH falling in the State of Maharashtra
160D	The highway starting from its junction with NH-60 near Nandur Shingote connecting Dighe, Talegaon, Loni and terminating at its junction with NH-160 near Kolhar in the state Maharashtra .	Entire NH falling in the State of Maharashtra
166A	The highway starting from Vadkhal on NH-66 and terminating at Alibaug in the State of Maharashtra.	Entire NH falling in the State of Maharashtra
348A	The highway starting from its junction with NH 348 near JNPT and terminating at Palm Beach Road in the State of Maharashtra	Entire NH falling in the State of Maharashtra
348B	The highway starting from its junction with NH-348 near Ulwe (Padeghar) connecting Hambhulpad, Kauli Belodak, Chirner, Sai and terminating at its junction with NH-66 near Raigad (Barapada) in the state of Maharashtra .	Entire NH falling in the State of Maharashtra
348BB	The highway starting from its junction with new NH-348B near Chirner connecting Koproli and terminating at Khopta Creek in the state of Maharashtra .	Entire NH falling in the State of Maharashtra
353B	Telangana/Maharashtra border to Rajura section	Km. 32.500 to km. 89.329
353D	Nagpur – Umred section	-
353J	Nagpur - Katol section	Km. 0.000 to Km. 62.000
547E	Gondkhairi - Saoner section	-
548DD	Katraj – Lonikand	-
548H	Karnataka/Maharashtra border to Banda in the state of	Entire NH falling in the State of Maharashtra

	Maharashtra.	
752E	Aurangabad - Bidkin – Paithan section	-
752I	Kopargaon – Vaijapur – Aurangabad section	From Km. 0/00 to km 88/100
753AB	The highway starting from its junction with NH-753A at Shendra MIDC ROB connecting Bhalgaon, Ghadivat, Bidkin, Shendurvada, Bargaon and terminating near Kasab Kheda Phata at junction of proposed Aurangabad Bypass on NH-52 in the State of Maharashtra.	Entire NH falling in the State of Maharashtra
753BB	The Highway starting from its junction with NH-753B Nadurbar (Devmogra) connecting Ghotane, Dondaicha, Bamne, Chillane, Kasbe, Shindkheda and terminating at its junction with NH-52 near Songir Phata in the state of Maharashtra.	Entire NH falling in the State of Maharashtra
930D	Junction with NH-353B - Maharashtra/Telangana border	From km. 19/0 to km 50/808
965D	The Highway starting from its junction with NH-65 near Kedagaon connecting Supe, Morgaon, Nira, Lonand, Wathar and terminating at its junction with NH-48 near Wade Phata (Satara) in the state of Maharashtra.	Entire NH falling in the State of Maharashtra
965DD	Lonad - Warandha (Pune/Raigad district border section)	-
965G	Patas – Velapur section	Km. 0.00 to km. 137.480

[F. No. NH-14013/6/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.